

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46(1)b के तहत
आर०एम० वाद सं०-30 / 2017-18

मो० डोमनी देवी.....विक्रेता

बनाम

श्रीमती संभा देवी.....क्रेता

02.11.22
अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, बुण्डू के द्वारा इस वाद में जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन अबतक अप्राप्त है। उक्त वाद में विक्रेता एवं क्रेता को इस न्यायालय के ज्ञापांक-1022(ii)/रा० दिनांक-30.09.2022, एवं ज्ञापांक-1077(ii)/रा० दिनांक-10.10.2022, के द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया है। जिसके पश्चात भी विक्रेता/क्रेता न्यायालय में अनुपस्थित है। विक्रेता मो० डोमनी देवी पति-स्व० बाउरी महतो, ग्राम-बिचाहातु, पो०-बुढाडीह, थाना-बुण्डू, राँची, जाति-कुरमी, पेशा-गृहणी कार्य, एवं उनके विद्वान अधिवक्ता श्री यमुना प्रसाद द्वारा इस अनुमति वाद में किसी भी तरह की पैरवी नहीं की जा रही है। इससे यह प्रतीत होता है कि विक्रेता/क्रेता को इस अनुमति वाद में किसी प्रकार की कोई अभिरुचि नहीं है।

अतः ऐसी परिस्थित में उपरोक्त अनुमति की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

भूमि का विवरण

| मौजा | थाना/थाना सं० | खाता सं० | प्लॉट सं० | रकबा |
|---------|---------------|----------|---------------|-----------|
| बुढाडीह | बुण्डू/05 | 114 | 390, 091, 392 | 24.82 डी० |

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बुण्डू (राँची)।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बुण्डू (राँची)।